न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 07/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/22

अनवान्

1. श्री उंकार पिता भुरा गुर्जर निवासी गरडा की भागल खेमपुर तह. मावली।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भुरा पिता रोडा गुर्जर निवासी गरडा की भागल खेमपुर तह. मावली।
2. श्री प्रभु पिता भुरा गुर्जर निवासी गरडा की भागल खेमपुर तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 10.12.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गरडा की भागल पटवार हल्का खेमपुर के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1362, 1369, 1370, 1372, 1371, 1373, 1540, 1541, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 किता 12 कुल रकबा 5.7464 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भुरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 558, 556, 556 मी., 555 मी., 577/2 मी., 616, 619/7 हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 किता 5 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 577/1, 577/1 मी. हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1374, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1565, 1566, 1571, 1572, 1573, 1574 किता 17 कुल रकबा 5.4392 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 3/44 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 548 मी., 548, 590, 590 मी., 595, 595 मी. हैं। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1416, 1417 किता 2 कुल रकबा 0.4083 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता [illegible] गुर्जर का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 577/[illegible]। परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:51 IST
Reason: SelfAttested

1515 रकबा 2.1529 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भुरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/15 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 607/2 हैं। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 किता 6 कुल रकबा 1.1737 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/12 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 569, 569 मी., 570, 570 मी. हैं।

2. यह कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

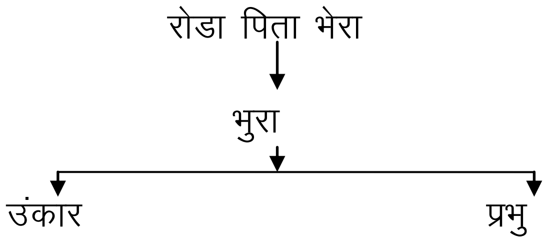

3. यह कि रोडा पिता भेरा की मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी हैं। रोडा का पुत्र भुरा है, जो प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 1 का पिता हैं।

4. यह कि परिशिष्ट क से च में अंकित आराजीयात मौरूसी जायदाद है, जो रोडा पिता भेरा से पहले से चली आ रही है। उक्त आराजीयात में रोडा के नाम दर्ज हिस्से में प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 का हिस्सा निहित हैं।

5. यह कि रोडा पिता भेरा का परिशिष्ट क में 1/3 हिस्सा, परिशिष्ट ख में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ट ग में 3/44 हिस्सा, परिशिष्ट घ में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ट ड में 1/15 हिस्सा, परिशिष्ट च में 1/12 हिस्सा दर्ज है। जिसमें प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 का हिस्सा निहित है अर्थात् परिशिष्ट के में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा विपक्षी नम्बर 1 का 1/9 हिस्सा तथा विपक्षी नम्बर 2 का 1/9 हिस्सा हैं। परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 का 1/12 हिस्सा, परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 3/132 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 1 का 1/132 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 का 1/132 हिस्सा, परिशिष्ट घ में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 का 1/12 हिस्सा, परिशिष्ट ड में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/45 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 1 का 1/45 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 का 1/45 हिस्सा तथा इसी तरह परिशिष्ट च में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 1 का 1/36 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 का 1/36 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 1, 2 काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

6. यह कि उक्त आराजीयात का अभी तक बंटवाडा नहीं हुआ है व सभी सहखातेदार हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:51 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि बिना बंटवाडा के किसी भी सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने का व निर्माण का कोई अधिकार नही हैं।

8. यह कि प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 का हिस्सा भी विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने से विपक्षी नम्बर 1 की नियत में फितुर आ गया है व उक्त आराजीयात के परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात में 1/3 हिस्सा, परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में 3/44 हिस्सा, परिशिष्ट घ में अंकित आराजीयात में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ट ड में अंकित आराजीयात में 1/15 हिस्सा व परिशिष्ट च में अंकित आराजीयात में 1/12 हिस्सा बताते हुए विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा विपक्षी नम्बर 2 भी विपक्षी नम्बर 1 को उक्त आराजी विक्रय हस्तान्तरण करने के लिए बहला–फुसला रहा है व भूमि, भूमि–दलालो को लाकर बता रहे हैं। जिस पर प्रार्थी ने विपक्षी नम्बर 1, 2 को कहां कि यदि आप जमीन बेचना चाहते है तो प्रार्थी का हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज करा दे व विपक्षी नम्बर 1 व 2 अपने हिस्से की भूमि विक्रय करे। तो नही मान रहे है व तारीख 05.02.2021 धमकी दी व कह रहे है कि जमीन विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज है, अतः हम तो पुरी जमीन बेच देंगे प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देंगे, न प्रार्थी के नाम हिस्सा दर्ज कराऐंगे। ऐसी अवस्था में प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व विपक्षीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराना आवश्यक हो गया है कि बिना बंटवाडा व अपने–अपने हिस्से की घोषणा कराये बिना उक्त आराजीयात या उसका कोई हिस्सा किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे तथा प्रार्थी के हिस्से का प्रार्थी को संयुक्त उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न प्रार्थी को जबरन बेदखल करे, न कोई नुकसान पहुंचावे अन्यथा प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

9. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।

10. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी नम्बर 1, 2 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क से च में अंकित आराजीयात का प्रार्थी को हिस्से अनुसार संयुक्त उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न जबरन बेदखल करे, न किसी प्रकार का नुकसान पहुंचावे, न कोई हस्तक्षेप करे तथा उक्त आराजीयात या उसके किसी हिस्से को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें, न निर्माण करे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:51 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मौजा गरडा की भागल पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 1362, 1369, 1370, 1372, 1371, 1373, 1540, 1541, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 किता 12 कुल रकबा 5.7464 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भुरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 किता 5 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1374, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1565, 1566, 1571, 1572, 1573, 1574 किता 17 कुल रकबा 5.4392 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 3/44 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1416, 1417 किता 2 कुल रकबा 0.4083 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 किता 6 कुल रकबा 1.1737 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भूरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/12 हिस्सा दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को पैतृक भूमि बताकर उक्त भूमि में जन्म से ही हक अधिकार निहित होना बताया हैं जिसके कारण वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। प्रथम दृष्टया जमाबन्दी अनुसार विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का हिस्सेनुसार खातेदार हैं। विपक्षी सं. 1 को उक्त वादग्रस्त भूमि विरासत से अपने पिता से प्राप्त हुई हैं जो प्रार्थी के दादा जी हैं। जिसके सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में प्रार्थी द्वारा सेटलमेन्ट विभाग का खसरा मिलान पत्रक एवं जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त जागीरात की फोटो प्रतियां पेश की हैं जिससे वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर प्रार्थी के दादा रोडा के नाम दर्ज होना प्रतीत होता हैं। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भू[illegible] विक्रय कर देता है तो प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता [illegible] प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:51 IST
Reason: SelfAttested

सामना करना पड सकता हैं। इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर 1515 रकबा 2.1529 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में भुरा पिता रोडा जी गुर्जर का 1/15 हिस्सा प्रार्थी द्वारा बताया गया है परन्तु संलग्न राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया उक्त भूमि में भूरा पिता रोडा का हिस्सा होना प्रतीत नहीं होता हैं। अतः इसलिए परिशिष्ट ड में वर्णित आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा गरडा की भागल पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 1362, 1369, 1370, 1372, 1371, 1373, 1540, 1541, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 किता 12 कुल रकबा 5.7464 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 किता 5 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1374, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1565, 1566, 1571, 1572, 1573, 1574 किता 17 कुल रकबा 5.4392 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1416, 1417 किता 2 कुल रकबा 0.4083 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 किता 6 कुल रकबा 1.1737 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 भूरा पिता रोडा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के 1/3 हिस्से की रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:51 IST
Reason: SelfAttested